<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 29 / 2024 **दायर दिनांकः 11.12.2024**

उनवान

1. खतीजा बानु आयु 79 वर्ष पुत्री ईदाभाई पत्नी अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी आटोन हाल मुकाम जेल कालोनी अटरू जिला बारां।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री अमीनुद्दीन
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> **दिनाकः 05.06.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू में खाता संख्या 12 के खसरा नं. 934 / 2258 का रकबा 0.32 हे0 कुल किता 1 का रकबा 0.32 हे० शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से खतीजा बानु पुत्री ईदाभाई के स्थान पर सजीदाबेगम पुत्री ईदाभाई अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम खतीजा बानु पुत्री ईदाभाई है जो कि उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि दस्तावेजो में भी खतीजा बानु पुत्री ईदाभाई नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत आटोन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी खतीजा बानु पुत्री ईदाभाई नाम ही दर्ज है । उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम सजीदाबेगम पुत्री ईदाभाई के स्थान पर खतीजा बानु पुत्री ईदाभाई दर्ज करवाने का अधिकारी है अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पुर्वक कार्य से प्रार्थीया का नाम खतीजा बानु

पुत्री ईदाभाई है जमाबंन्दी में सजीदाबेगम पुत्री ईदाभाई कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही कर रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल आटोन पटवार हल्का आटोन तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल आटोन तहसील अटरू में खाता सं0 12 के खसरा नं0 934/2258 का रकबा 0.32 हे0 कुल किता 1 का रकबा 0.32 हे0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थीया का नाम खतीजा बानु पुत्री ईदाभाई दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1174 दिनांक 28.04.2025 से रिपोर्ट पेश की गईं तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आटोन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 12, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, ग्राम पंचायत आटोन प्रमाण पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार अटरू का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एव माल आटोन तहसील अटरू में खाता संख्या 12 के खसरा नं. 934/2258 का रकबा 0.32 हे0 कुल किता 1 का रकबा 0.32 हे० आराजी में सह खातेदार संजीदा बेमन पुत्री ईदाभाई के स्थान पर खतीजा बानु किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां